

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:प. 6(3)साप्र/5/94 पार्ट II

जयपुर, दिनांक: 26.8.2013

आदेश

निम्नलिखित विश्राम भवनों में उनके नाम के सामने अंकित कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं को एजेंसी/ठेकेदार के माध्यम से ठेके पर कार्य कराने की स्वीकृति नियमित नियुक्ति होने अथवा आगामी दिनांक 01.09.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि हेतु एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति नियमित भर्ती होने अथवा आगामी दिनांक 31.03.2014 तक (जो भी पहले हो) तक के लिए लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत होगी। यह स्वीकृति पूर्व में जारी समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 10.07.2013 के अतिरिक्त है।

क्र.स.	विश्राम भवन का नाम	ठेके पर कार्य का विवरण	कार्य हेतु सख्या
1	राजस्थान हाउस, नई दिल्ली	कुक कार्य हेतु	6
2	सिरोही	कुक कार्य हेतु	1
3	नागौर	कुक कार्य हेतु	1
4	माउन्ट आबू	कुक कार्य हेतु	1
5	श्रीगंगानगर	कुक कार्य हेतु	1
6	जयपुर	कुक कार्य हेतु	3
7	दौसा	कुक कार्य हेतु	1
8	झुझुनू	कुक कार्य हेतु	1
9	चित्तौड़गढ़	कुक कार्य हेतु	1
10	बूंदी	कुक कार्य हेतु	1
11	धौलपुर	कुक कार्य हेतु	2
12	हनुमानगढ़	कुक कार्य हेतु	1
13	राजसमंद	कुक कार्य हेतु	1
14	जैसलमेर	कुक कार्य हेतु	1
15	चूरु	कुक कार्य हेतु	1
16	बाडमेर	कुक कार्य हेतु	1
17	प्रतापगढ़	कुक कार्य हेतु	1
18	झालावाड़	कुक कार्य हेतु	1
19	डूंगरपुर	कुक कार्य हेतु	1
20	करोली	कुक कार्य हेतु	1
21	बारां	कुक कार्य हेतु	2
22	पाली	कुक कार्य हेतु	2
23	सीकर	कुक कार्य हेतु	1
24	जोधपुर	कुक कार्य हेतु	2
25	बांसवाड़ा	कुक कार्य हेतु	1
		कुक योग	36

उक्त स्वीकृति का व्यय बजट मद 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -115-अतिथि गृह सरकारी होस्टल (03) विश्राम भवन-41 संविदाएँ (आयोजना भिन्न) एवं मद 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -115-अतिथि गृह सरकारी होस्टल (02) एवं राजस्थान हाउस, नई दिल्ली -41 संविदाएँ (आयोजना भिन्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 में वहन किया जाएगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय -2) विभाग द्वारा उनकी आई.डी. सं. 101303805 दिनांक 23.08.2013 पर प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(राजीव जैन)

सयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
3. सम्बन्धित प्रबन्धक, विश्राम भवन को प्रेषित कर लेख है कि यह सुनिश्चित कर लें कि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.12(7)साप्र/5/2011 दिनांक 1.11.2012 द्वारा सृजित देशी कुक/ईंग्लिश कुक के पदों पर कार्यरत/रिक्त पद जिसके विरुद्ध उक्त संविदा के पदों की स्वीकृति दी गई है, से अधिक नहीं होंगे।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
5. वित्त (व्यय-2) विभाग।
6. वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

सयुक्त शासन सचिव